



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग
द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मेसर्स जायसवाल निको लि., रायपुर द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल में संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक पी 1305 एवं पी 1306 के कुल 50.00 हे. की मांग ग्राम मेटाबोदली, तहसील पंखाजूर में लौह अयस्क उत्खनन के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 31/08/2010

स्थान: रायपुर

Lucius

(आर. के. शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, रायपुर

आर. के. शर्मा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

छत्तीसगढ़, रायपुर